झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

रॉंची, दिनांक :— 23-9-16

अधिसूचना सं॰—02 / स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)—17—01 / 2012 4701 / राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—03 / एम॰—06 / प्रो॰—02 / 2002—5207 / वि॰ रॉंची दिनांक 14.08.2002 एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—06 / एस॰—06(प्रो॰)—03 / 2009—2981 / वि॰ रॉंची दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को जिन्हें पूर्व में 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया था, उन्हें लगातार 24 वर्षो एवं 30 वर्षो की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ—05 एवं 06 में अंकित तिथि से क्रमशः द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

क्रमांक	अभियंता का नाम	आई॰डी॰	पद सोपान में योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वेतनमान् 14300—400—18300, में द्वितीय लाभ प्रदान करने की तिथि	संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वेतनमान् 37400— 67000, ग्रेड पे 8900 में तृतीय लाभ प्रदान करने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मुनीलाल प्रसाद	2450	25.01.79	25.01.03	25.01.09	

1. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है, किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
2. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
2. यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या— 5207 दिनांक 14.08.2002, संकल्प संख्या—2981 दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प सं॰—660 / वि॰ दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। भविष्य में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 4701 रॉंची, दिनांक :— 23-9-16

प्रतिलिपिः— अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियां (सी॰डी॰सहित)

D:\PRAMOD-2016\DY. SEC\MACP -2016\MACP NOTIFACTION\Notification MACP III AUG 2016.docx

के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियॉ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 4701 रॉची, दिनांक :— 23-9-16

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जॉच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 4701 रॉची, दिनांक :— 23-9-16

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी–01 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 4701 रॉची, दिनांक :— 23-9-16

प्रतिलिपिः— वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव